जज एम. एम. पुंछी और अमरजीत चौधरी

जसबीर सिंह और अन्य, -पिटिशनर।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और एक अन्य, उत्तरदाताओं।

1988 के सिविल रिट याचिका संख्या 5943

21 जुलाई, 1988।

आयोजित, कि फिर से परीक्षा और अन्य ancil- लरी फैसलों, दंडात्मक और चरित्र में सुधारात्मक निर्णय लेने का निर्णय, सिंडिकेट द्वारा लिया जाना है। उद्देश्य के लिए सिफारिशें, कैसे- कभी भी किसी अन्य शरीर द्वारा वजनदार सिंडिकेट की संतुष्टि पर deci- sion का विकल्प नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि सिंडिकेट ने निर्णय नहीं लिया है और इस निर्णय के बिना विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(पैरा ५)

भारत के संविधान के लेख 226/227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालय यह आदेश देकर प्रसन्न हो सकता है:

(i) सर्टिफिकेट या किसी अन्य रिट, ऑर्डर या दिशा की प्रकृति में एक रिट जारी करना, लगाए गए ऑर्डर एनेक्स- ures p.1 और p.2;

(ii) किसी भी अन्य राहत को याचिकाकर्ताओं को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाता है, कृपया याचिकाकर्ताओं को सम्मानित किया जा सकता है;

(iii) अनुलग्नक p.1 और p.2 की प्रमाणित प्रतियों की दाखिल करना कृपया के साथ भेज दिया जा सकता है;

(iv) उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी करना

(v) रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जा सकती है।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि 26 जुलाई 1988 को आयोजित होने वाले याचिकाकर्ताओं की पुन: जांच की गई, और लागू आदेशों के संचालन, (p.1 और p.2) को रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान कृपया बनाए रखा जा सकता है।

प्रलय

जज एम एम पंचही, । (ओरल)

(१) हमारे पास तीन रिट याचिकाएँ हैं जो 1988 के तीन रिट याचिकाएँ हैं। पहले दो याचिकाओं में प्रस्ताव की सूचना प्रतिवादी-विश्वविद्यालय और सह-प्रतिवादी को जारी की गई है और जवाब में, श्री जे। एल। गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाओं का बचाव करने के लिए यहां हैं। तीसरे में हम मोशन ऑफ मोशन जारी करते हैं और श्री जे। एल। गुप्ता के बयान पर इसे पूरा करते हैं।

(२) मोटे तौर पर कहा गया है, याचिकाकर्ता अप्रैल 1988 में आयोजित परीक्षा के लिए विभिन्न सेमेस्टर के स्नातक वर्गों की परीक्षार्थी हैं। याचिकाकर्ता और अन्य छात्र गुरु नानक कॉलेज, फेरोज़पुर कैंट, आर.एस.डी. कॉलेज, फेरोज़ेपुर सिटी, डी। एम। कॉलेज, मोगा और जे। सी। डी। ए। वी। वी। कॉलेज, दासुया, जैसा कि उन्हें आवंटित किया गया है। इन केंद्रों में बड़े पैमाने पर नकल करने की खबरें थीं और परीक्षा सुधार समिति इस मामले में चली गई। इसने 8 जुलाई, 1988 को एक सिफारिश की, इसके बाद उल्लेख किया:-

"(i) कि उन विषयों/पत्रों में निम्नलिखित केंद्रों के उम्मीदवारों की पुन: जांच जहां विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विशेष परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर बड़े पैमाने पर कॉपी का सबूत है। विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द आयोजित किया जाए:

2. आर.एस.डी. कॉलेज, फेरोज़ेपुर सिटी (केंद्र नोस 3 और 4)

3. डी। एम। कॉलेज, मोगा (केंद्र संख्या 2 और 3)

4. जे.सी. डी.ए.वी. कॉलेज, दासुया (केंद्र नंबर 1)।

(ii) कि चंडीगढ़ में पुन: परीक्षा अधिमानतः आयोजित की जानी चाहिए।

(iii) कि पुन: परीक्षा के उत्तर-पुस्तकों का स्थान-मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, उनके परिणामों को संसाधित किया गया और सबसे कम समय में घोषित किया गया।

(iv) कि जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा को लेने की आवश्यकता होती है, वे उच्च वर्ग के लिए अनंतिम प्रवेश के लिए विचार किए जाते हैं: - -

(ए) जहां उम्मीदवारों को कॉलेज के भीतर अगले उच्च श्रेणी में शामिल होना है, उन्हें कॉलेज द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि कोई हो, तो अन्य पात्रता स्थितियों की पुन: परीक्षा और पूर्ति में उनके पारित होने के अधीन, यदि कोई हो;

(b) जो उम्मीदवार B.ed./m.a में प्रवेश मांगने के इच्छुक हैं। पाठ्यक्रम, उन्हें अपने B.A./b.sc./b.com के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जाना चाहिए। भाग ।। परीक्षा परिणाम अनंतिम रूप से पुन: परीक्षा के परिणाम के अधीन है। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास योग्यता के आधार पर भर्ती अंतिम उम्मीदवार के साथ पुन: परीक्षा के परिणाम के आधार पर तुलनीय योग्यता है, तो अतिरिक्त सीटों को विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज/विभाग को ऐसे उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए मंजूरी दी जा सकती है।

इससे उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक करियर के एक कीमती वर्ष को बचाने में मदद मिलेगी।

(v) उन केंद्रों के मामले में जहां बड़े पैमाने पर नकल के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम को आर.एल. (यूएमसी) घोषित किया गया है, उनके मामले प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया-एड हैं।

(vi) कि उपरोक्त केंद्रों में नियुक्त पर्यवेक्षी कर्मचारियों के सदस्यों के खिलाफ, जिनके खिलाफ उम्मीदवारों के साथ अनुचित सहायता प्रदान करने की विशिष्ट रिपोर्टें हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों/विनियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

(३) समिति ने आगे सिफारिश की कि इन सिफारिशों पर कार्रवाई को फिर से परीक्षा देने में देरी से बचने के लिए सिंडिकेट की मंजूरी की प्रत्याशा में लिया जा सकता है।

समिति ने वाइस-चांसलर को भी किसी भी अन्य उपायों को अधिकृत किया, जो कि परीक्षा के अध्यक्ष के साथ परामर्श से समिति के फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य उपायों को करने के लिए किया गया था।

समिति ने यह भी कहा कि अगले उच्च कक्षाओं में उनके प्रवेश के संबंध में पुन: परीक्षा का निर्णय भी प्रेस के माध्यम से उम्मीदवारों को भी सूचित किया जाए। "(ये श्री जे। एल। द्वारा आपूर्ति की गई मिनटों की प्रतियों से लिए गए हैं। गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता)।

(४) परीक्षा सुधार समिति द्वारा प्रस्तावित उपाय के लिए ललाट हमला यह है कि इसके प्रस्ताव को सिंडिकेट के निर्णय के रूप में लिया गया है जब यह अकेले सिंडिकेट है जो एक निर्णय ले सकता है और वह भी याचिकाकर्ताओं को एक ओपोर देने के बाद - सुनी जा रही है। वास्तव में, यह इस बात से

इनकार नहीं किया जाता है कि आज तक सिंडिकेट ने निर्णय नहीं लिया है। कानूनी रूप से यह विवादित नहीं है कि विनियमन 29 के तहत यह सिंडिकेट है जो जांच के बाद संतुष्टि और निर्णय रिकॉर्ड करना है। यह यहां पुन: पेश करने के लिए उपयोगी होगा विनियमन :-

"29. यदि सिंडिकेट जांच के बाद संतुष्ट है कि एक विश्वविद्यालय की परीक्षा के पूर्ण-ग्रता का एक परीक्षा केंद्र में उल्लंघन किया गया है, तो परीक्षार्थियों को प्रदान की गई थोक अनुचित सहायता के परिणामस्वरूप, सिंडिकेट फिर से परीक्षा दे सकता है, इसके अलावा कार्रवाई करने के अलावा कार्रवाई करने के अलावा कार्रवाई की जा सकती है। Regula- अनुचित साधनों से संबंधित tions और भविष्य के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा केंद्र को भी समाप्त कर सकते हैं। "

(५) चरित्र में पुन: परीक्षा और अन्य सहायक निर्णयों, दंडात्मक और सुधारक का आदेश देने का निर्णय, सिंडिकेट द्वारा लिया जाना है। उद्देश्य के लिए सिफारिशें, हालांकि वजनदार, किसी भी अन्य शरीर द्वारा सिंडिकेट की संतुष्टि पर निर्णय का विकल्प नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि सिंड-केट ने निर्णय नहीं लिया है और इस निर्णय के बिना विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(६) श्री जे। एल। गुप्ता ने भी हमारे समक्ष लिखित रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति के विचार रखे हैं। कुलपति परीक्षा सुधार समिति द्वारा सुझाए गए समाधान के साथ समझौता कर रहे हैं। वह सोचता है कि यह समाधान निष्पक्ष और मानवीय दोनों है। हमें कुलपति के विचारों पर या तो सवाल या समर्थन करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। हमारे उद्देश्य के लिए यह पर्याप्त है कि पत्र और आत्मा में विनियमन 29 का पालन नहीं किया गया है।

() इस न्यायालय के एक बेंच निर्णय पर याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील द्वारा रिलायंस को (राजेश कुमार और (राजेश कुमार और) में रखा गया था

अन्य वी। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और अन्य (1), जिसमें विनियमन 29 जैसे समान प्रावधान की व्याख्या की गई थी, यह कहने के लिए व्याख्या की गई थी कि संबंधित छात्रों को सुनवाई आवश्यक थी, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले आवश्यक थी। बार में यह कहा गया है कि उक्त फैसले के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील को लिमाइन में खारिज कर दिया गया था। श्री गुप्ता उस निर्णय को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों में सिंडिकेट देखेगा कि याचिकाकर्ताओं को सुनने का अवसर मिलता है। उसी सांस में उनका कहना है कि 26 जुलाई, 1988 को जिस परीक्षा को सूचित किया गया है उसे अब तक जाने की अनुमति दी गई है, जहां तक याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य उम्मीदवारों का संबंध है, क्योंकि वे परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम यह कहने में विफल रहते हैं कि इस तरह का दमन कैसे किया जा सकता है। यह केवल दुखी नहीं है जो निवारण के लिए इस अदालत में आते हैं। कई लोग अपने भाग्य को प्रस्तुत करते हैं और बाहर रहते हैं। हमें इस तरह के एक सीटू-टियोन में, सभी संबंधितों को भी न्याय सौंपना होगा, और दोहरावदार रूप से हम कहते हैं कि चूंकि सिंडिकेट का कोई निर्णय नहीं है, इसलिए परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन तथ्यों के उद्भव के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है।

() इस आदेश के साथ भाग लेने से पहले हम यह स्पष्ट करना पसंद करते हैं कि जब उत्तरदाताओं की कार्रवाई को otiose प्रदान किया गया है, तो यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अनंत एड उम्मीदवारों के परिणामों को घोषित करना होगा। कुलपति द्वारा व्यक्त की गई चिंता यह है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित नहीं होना चाहिए। यह दो चरम सीमाओं को संतुलित करने की बात है। चरम जो तत्काल मामले को नियंत्रित करेगा, इसमें शामिल समय की कमी को देखते हुए, यह है कि दस दोषी को एक निर्दोष पीड़ित होने के बजाय भागने दें। यह मामला भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन हमारे विचार में वर्तमान परीक्षार्थियों को साफ करने के लिए इस तरह के एक शुद्धिकरण को परिस्थितियों में आवश्यक होगा, उन विषाक्त पदार्थों की प्रणाली को साफ करने के लिए जो दर्ज किए गए हैं। यहां तक कि अगर कुछ उप-मानक छात्र को इस आदेश का लाभ मिलता है, तो हमें अंततः उम्मीद है कि वह अगली परीक्षा में नेट में फंस जाएगा।

(९) इन टिप्पणियों के साथ हम इस याचिका की अनुमति देते हैं।

(1) C.W.P. 1987 के 8924 ने 8 फरवरी, 1988 को फैसला किया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा